राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प. 7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांकः 23.05.2021

<u>आदेश</u>

विषय : कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 24.05.2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5:00 बजे तक के लिए **त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन दिशा–निर्देश।**

प्रदेश में कोविड संक्रमण पॉजिटिविटी दर वर्तमान में लगभग 15 प्रतिशत है एवं हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बेड/वेन्टीलेटर बेड की जरूरत लगातार बनी हुई है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संक्मण की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार इसके लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ संक्मण की रोकथाम के लिए जरूरी है **जनभागीदारी**। प्रदेशवासी **स्व–अनुशासन** में रहकर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे तो इस महामारी को नियंत्रित करना आसान होगा।

कोरोना का संक्रमण प्रदेशभर में जिस तरह से फैल रहा है, उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर हमें **हमारी जिम्मेदारी** को समझना होगा। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए स्वयं आगे बढ़ कर अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा। **सामाजिक दूरी** को अपनाकर हम संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए कुछ समय तक हमें प्रियजनों, रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों से मिलना–जुलना स्थगित करना होगा। भीड़ में जाने और भीड़ एकत्र करने से बचना होगा। अति आवश्यक होने पर अगर किसी को मिलने की आवश्यकता भी हो तो घर के बाहर खुले स्थान पर **सोशल डिस्टेंसिंग** के साथ मास्क पहनकर एक दूसरे से मिलना उचित होगा। प्रदेशभर में **सामाजिक दूरी** के इस व्यवहार को अपनाकर ही हम संक्मण की चेन तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से **जिम्मेदारी** का निर्वहन करना होगा। इस हेतु समस्त प्रदेशवासियों द्वारा परिवार/वार्ड/ग्राम/शहर/प्रदेश स्तर पर **जन अनुशासन** अपनाये जाने की आवश्यकता है।

परिवार स्तर पर अनुशासन :–

- राजस्थान के समस्त निवासियों को परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से घरों से कतई बाहर न निकलें (Stay at Home), परिवार में ही रहे एवं बाहरी व्यक्तियों से कम–से–कम संपर्क रखें (Social Distancing) कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार–बार धोना इत्यादि की पालना भी सुनिश्चित करें।
- अनावश्यक रूप से बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोके, अतिआवश्यक होने पर घर से बाहर किसी भी खुले स्थान पर सामाजिक दूरी रखते हुए मिलें, ताकि परिवार के बुजुर्ग, बच्चें व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित (comorbid) सदस्य सुरक्षित रहें।
- भेद्य व्यक्तियों **(Vulnerable Persons)** जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चें) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति–आवश्यक है कि वे समय–समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
- यथासंभव Work-from-Home को प्रोत्साहित करें।

गांव/मोहल्ले में जन अनुशासन :–

- संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
- बाजारों में भीड़–भाड़ को नियंत्रित करने हेतु अपने आस–पास की दुकानों से ही खरीददारी करें, अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग ना करें एवं **होम डिलीवरी** को प्रोत्साहित करें।
- पूजा–अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही करें।
- सभी प्रकार के समारोह आयोजन जैसे विवाह इत्यादि दिनांक 30.06.2021 तक स्थगित रखे जावे।

प्रदेश स्तर पर जन अनुशासन लॉकडाउन :–

समस्त प्रदेशवासी उक्त भावना के साथ अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाए साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सभी प्रदेशवासी सोशल डिस्टेंसिंग,

मास्क पहनने और अन्य कोविड प्रोटोकॉल की निरन्तर कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे तो हम अवश्य ही कोरोना की इस प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने एवं लॉकडाउन के प्रतिबंधों को क्रमवार हटाने में सफल हो सकेंगे।

इस हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2021 एवं दिनांक 06.04.2021 की निरंतरता में **दिनांक 24.05.2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5:00 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।**

जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार लागू होंगे।

कार्यालयों के सम्बन्ध में अनुमति :–

1. उपयुक्त **पहचान–पत्र** के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, विधि पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, हॉमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन/वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी को आवागमन की अनुमति होगी। उपरोक्त समस्त कार्यालयों का समय सायं 4:00 बजे तक रखा जायेगा।
2. केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त **पहचान–पत्र** के साथ अनुमत होंगे।
3. उपरोक्त के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
4. कार्य की अनिवार्यता एवं आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तर पर प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष 10 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खुलवा सकेंगे तथा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के पश्चात् ऐसा कर सकेंगे।
5. कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम (Work from home) करेंगे।
6. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जावेगा।
7. सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं उपयुक्त **पहचान–पत्र** के साथ अनुमत होंगी।

8. पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि उपयुक्त **पहचान–पत्र** के साथ अनुमत होंगे।

दुकानों/बाजारों के सम्बन्ध में अनुमति :–

दुकानों/बाजारों को खोले/बंद किये जाने की समयावधि का विवरण परिशिष्ट **'A'** पर उपलब्ध है।

माल/परिवहन सेवाऐं व आवागमन के सम्बन्ध में अनुमति :–

9. रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को **यात्रा टिकट दिखाने पर** आवागमन की अनुमति होगी।

10. किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी(Taxi)/ओला(OLA)/उबर (Uber)/ऑटो/ई–रिक्शा सेवा अनुमत होगी।

11. कोविड मरीज के साथ आये Attendant को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही Attendant द्वारा मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।

12. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु **नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।** राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।

13. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।

14. **टीकाकरण हेतु** स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान–पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।

15. निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को **प्रवेश–पत्र** दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

व्यक्तियों के आवागमन/परिवहन (Movement of People/ Transport) के सम्बन्ध में **विवरण परिशिष्ट 'D'** पर उपलब्ध है।

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में अनुमति :–

16. **राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक शादी–समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वें इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30.06.2021 के पश्चात् आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।**

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में **विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'B'** पर उपलब्ध है।

17. **अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम** : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या **20** से अधिक नहीं होगी।

18. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी।

19. धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा–अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा–अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे।

मनोरंजन/सार्वजनिक उद्यानों के सम्बन्ध :–

20. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जावेंगे।
21. स्विमिंग पूल्स/जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
22. समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे।

शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में :–

23. समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाऐं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
24. मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
25. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में अनुमति :–

26. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को **परिचय पत्र** के साथ आने–जाने की अनुमति होगी।

27. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।

28. ई–मित्र/आधार केन्द्र सेवाऐं **दोपहर 4:00 बजे** तक अनुमत होगी।

29. एटीएम सेवाऐं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI)/NBFC की सेवाऐं आमजन के लिए **दोपहर 2:00 बजे तक** अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी **कम–से–कम** कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं **ई–बैंकिंग** कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।

30. सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान–पत्र के साथ अनुमति होगी।

31. सभी आवश्यक वस्तुएं आदि का **ई–कॉमर्स** के माध्यम से वितरण अनुमत होगा।

32. **इंदिरा रसोई** में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य **रात्रि 9 बजे** तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।

33. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

34. कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं अनुमत होंगी।

35. निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होंगी।

पेट्रोल/डीजल/एलपीजी के सम्बन्ध में अनुमति :–

36. सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

    एलपीजी वितरण सेवाऐं ग्राहकों के लिए प्रातः 6:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अनुमत होंगी।

उद्योग एवं निर्माण गतिविधियां के सम्बन्ध में अनुमति :–

37. समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने कार्मिकों/श्रमिकों को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर self-generate कर पहचान–पत्र/वन ऑवर ट्रान्जिट पास जारी किया जा सकेगा, जिससे आवागमन में सुविधा हो। विस्तृत **विवरण परिशिष्ट 'C'** पर संलग्न है।

38. **निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।**

राजस्व अर्जन सम्बन्धी गतिविधियां :–

39. सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा–निर्देश अनुसार अनुमत होंगी।

अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में :–

40. प्रदेशवासियों का लॉकडाउन के दौरान जन अनुशासन में सहयोग जैसे–कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजेशन आदि) पालना ही कोरोना संक्रमण को हरा सकता है एवं कोविड दिशा–निर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों में क्रमवार शिथिलन प्रदान कर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में अहम भूमिका निभा सकता है।

लॉकडाउन में बंद व्यवसायिक गतिविधियां जिनके संचालन में भीड़–भाड़ होने की संभावना कम होती है, ऐसी गतिविधियों का दिनांक 1 जून 2021 के पश्चात संचालन हेतु **गृह विभाग द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।**

प्रशासनिक निर्देश :–

41. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा **"No Mask No Movement"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

42. जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश परिशिष्ट 'F' पर उपलब्ध है।

43. लॉकडाउन के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा, अन्य कोई व्यक्ति, बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटीन (Institutional quarantine) कर दिया जायेगा जब तक उसकी आरटी–पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। **लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों (Rule of Five) का एकत्रित होना प्रतिबन्धित रहेगा।**

44. वार्ड/गांव/शहर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान संभावित भीड़–भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी/एन.एस.एस आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार (परिशिष्ट 'E') की पालना हेतु जन जागरूकता किया जायेगा। समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour हेतु निरन्तर अपील करने हेतु सहयेग लिया जायेगी।

45. माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के जयपुर मॉडल पर हुई चर्चा के आधार पर जांच–पहचान–उपचार प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat Protocol) एवं रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones) में अतिरिक्त दिशा–निर्देश सम्मिलित किए गये हैं, जो कि क्रमशः परिशिष्ट G, H पर संलग्न है।

46. उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

परिशिष्ट :–

A. दुकानों/बाजारों के सम्बन्ध में
B. विवाह समारोह के सम्बन्ध में
C. उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में श्रमिकों के आवागमन हेतु
D. सार्वजनिक परिवहन
E. कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour)/कोविड के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश
F. Joint Enforcement Team (JET) / Anti Covid Teams (ACTs)
G. जांच–पहचान–उपचार प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat Protocol)
H. रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones)
I. राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अन्तर्गत शास्ति व शमन करने की शक्तियां

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(सुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

परिशिष्ट 'A'

दुकानों/बाजारों के सम्बन्ध में

a. राज्य के उपभोक्ताओं की आवश्यकता के मद्देनजर बाजारों को निम्नानुसार खोले जाने की अनुमति दी जाती है। जहां तक संभव हो इनके द्वारा **होम डिलीवरी** की व्यवस्था की जायेगी।

क्रसं	दुकानें	वार	समय
1.	सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) दुकानें।	मंगलवार से शुक्रवार	प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक
2.	पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) दुकानें।	मंगलवार से शुक्रवार	प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक
3.	कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें/परिसर।	मंगलवार से शुक्रवार	प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक
4.	ऑप्टिकल संबंधी दुकानें।	मंगलवार एवं शुक्रवार	प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक
5.	डेयरी एवं दूध की दुकानें।	प्रतिदिन	प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00बजे एवं सांय 5:00 से सांय 7:00 बजे तक
6.	मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल–मालाऐं की दुकानें।	प्रतिदिन	प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00बजे तक
7.	सब्जियां एवं फलों को ठेले/साईकिल/रिक्शा/ऑटो–रिक्शा/मोबाईल वैन द्वारा विक्रय पर।	प्रतिदिन	प्रातः 6:00 से सायं 05:00 बजे तक

बाजार (टेबल के क्रम संख्या 5, 6 एवं 7 को छोड़कर) **शुक्रवार दिनांक 28 मई दोपहर 12:00 से मंगलवार दिनांक 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक एवं शुक्रवार दिनांक 4 जून दोपहर 12:00 से मंगलवार दिनांक 8 जून प्रातः 5:00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा।**

b. राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

c. फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाईयों की भी **होम डिलीवरी** को प्रोत्साहित किया जाए जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।

d. **प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 9:00 बजे तक ही अनुमत होगी।**

e. वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों मे हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना होगा।

f. दुकानों में **गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी** सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेसिंग की पालना की जाएगी। **"नो मास्क नो सर्विस"** अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे।

g. यदि कोई दुकानदार **"नो मास्क नो सर्विस"** प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।

h. **सभी को परामर्श दिया जाता है कि, जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल/साइकिल का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें, ताकि बाजारों में "No Vehicle Movement" को अपनाया जाकर भीड़—भाड़ पर नियंत्रण पाया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।**

परिशिष्ट 'B'

विवाह समारोह में जन अनुशासन

a. कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है, जोकि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है। राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक विवाह–समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 30.06.2021 के पश्चात् आयोजित कराया जाये ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

b. **विवाह समारोह कोविड संक्रमण के प्रसार का एक प्रमुख कारण रहे हैं, क्योंकि इन समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी की पालना नही की गई जिससे विवाह समारोह में दूल्हा–दूल्हन, बाराती–घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं। अतः कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात–निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 30.06.2021 तक अनुमति नहीं होगी।** विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें **11** व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-Intimation:MARRIAGE पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड–बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की **होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी।**

c. शादी–विवाह के सम्बन्ध में सूचना 181 हेल्प लाइन नंबर पर भी दी जा सकती है। हेल्प लाइन द्वारा प्राप्त उक्त सूचना को e-Intimation वेब पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा आवेदनकर्ता को यूनिक आईडी नंबर फोन पर Text message/e-mail द्वारा भेजा जायेगा।

d. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी–समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। शादी–समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टैण्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड–बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा **एडंवास बुकिंग** हेतु दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को **वापस** लौटाया जायेगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जायेगा।

e. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नही होगी।

परिशिष्ट 'C'

उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में श्रमिकों के आवागमन हेतु जन अनुशासन

समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु **स्पेशल बस** का संचालन अनुमत होगा।

इस क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

a. प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से self generate कर आईडी (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा। जिसमें सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नम्बर एवं शिफ्ट का समय अंकित हो।

b. ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries से self generate किया गया One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा जिससे लॉकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा हो।

   One Hour Transit Pass उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से पहले 1 घण्टे तथा शिफ्ट खत्म होने के बाद 1 घण्टे के लिए वैद्य होगा। यह पास केवल आवागमन (घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर) हेतु जारी किया जायेगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा। एक घण्टे के लिए ट्रान्जिट पास में कार्मिक/श्रमिक के घर का पता, कार्यस्थल का पता एवं उस मार्ग का ब्यौरा जो कि कार्मिक/श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया है, का विवरण में देना अनिवार्य होगा।

c. उद्योग/निर्माण इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों/कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घण्टा ट्रान्जिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा ताकि आवागमन में सुविधा रहें।

d. जहां तक संभव हो उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन किया जाए, जिसकी सूचना भी ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।

e. उक्त e-intimation ID card/One Hour Transit Pass की व्यवस्था के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार State Level and District Level committee का गठन किया जाता है।

राज्य स्तरीय कमेटी	**जिला स्तरीय कमेटी**
1. विशिष्ट सचिव, गृह विभाग (समन्वयक) 2. आयुक्त, उद्योग 3. आयुक्त, DoIT 4. आईजी (लॉ एण्ड ऑर्डर)	1. जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि 2. पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि 3. DIC/RIICO के प्रतिनिधि

f. औद्योगिक इकाई के प्रवेश द्वार पर श्रमिकों एवं कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाये। उक्त जांच में मापदण्डानुसार पाये जाने पर ही श्रमिक/कार्मिक को इकाई के अन्दर प्रवेश दिया जाये। कार्यस्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने हेतु उद्योगों के सम्बन्ध में उद्योग विभाग एवं निर्माण इकाईयों के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।

g. यदि बिना पास के वाहन/आदमी, दिए गये समय के अलावा समय में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक संभव हो उद्योग व निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के रहने एवं खाने की व्यवस्था उद्योग परिसर में की जानी चाहिए, जिससे कि कम से कम आवागमन हो एवं इससे सम्बन्धित परेशानियों को दूर किया जा सके।

जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने–अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को विशेष परिस्थितियों (मेडिकल इमरजेंसी इत्यादि) एवं श्रमिक वर्ग को उद्योग/निर्माण इकाईयों में काम हेतु आवागमन के दौरान कठिनाईयों का सामना ना करने पड़े व उनका आवागमन सुविधाजनक रहे।

लॉकडाउन के दौरान आवागमन से सम्बन्धित समस्याओं का सम्बन्धित जिला कलक्टर/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक स्वयं जांच/निगरानी कर अपने स्तर से समाधान करेंगे।

परिशिष्ट 'D'

व्यक्तियों के आवागमन/परिवहन हेतु जन अनुशासन
(Movement of People/ Transport)

a. **समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन** जैसे–बस, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी(Taxi)/ओला(OLA)/उबर (Uber)/ऑटो/ई–रिक्शा सेवा अनुमत होगी।

b. प्रत्येक यात्रा के बाद सभी वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा।

c. यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

d. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियो को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई **RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा और उससे सम्बन्धित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) DoIT को भेजकर CQAS के माध्यम से उनकी निगरानी की जायेगी।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

i. राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों हेतु थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक यात्रियों की रेण्डम (random) जाँच की जायेगी।

ii. सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक–पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे। **बॉर्डर चेक पोस्ट** पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जावे।

iii. **महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे,** जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

iv. **एयरपोर्ट डायरेक्टर,** एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

v. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर फास्टैग/अन्य संकलित सूचना का उपयोग कर राज्य में प्रतिदिन प्रवेश करने वाले वाहनों का विवरण, **परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर** प्राप्त करेंगे ताकि राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की आरटी–पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट एवं उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की ट्रैकिंग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन (Covid Appropriate Behaviour)

a. **फेस मास्क (Face Mask): फेस मास्क पहनना** एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न निर्देशों की पालना की जाए।

- अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें।
- सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह कवर करें।
- जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे एक साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।

सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"नो मास्क नो मूवमेन्ट"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी। **सार्वजनिक और कार्य स्थलों** पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावे।

b. **सामाजिक दूरी :**

सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे (Stay at Home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखे (Social Distancing)। जिससे की कोविड संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा। भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

c. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छुने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

d. जिला मजिस्ट्रेट कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

e. **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।

f. सार्वजनिक स्थानों पर **शराब, पान, गुटका, तम्बाकू** आदि का सेवन **निषिद्ध** है और जुर्माने से दण्डनीय है।

कोविड के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश

a. **घर से कार्य (WfH)** : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।

b. **अनुमत कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम–से–कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।**

c. **जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) :** सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

d. **बार–बार सैनिटाईजेशन करना :** सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

परिशिष्ट 'F'

Joint Enforcement Team (JET) / Anti Covid Teams (ACTs)

1. भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.03.2020 के दिशा–निर्देशों में लॉकडाउन उपायों की कियान्विति हेतु **इंसीडेन्ट कमाण्डर्स** की नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट **आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005** के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों को **इंसीडेन्ट कमाण्डर्स** नियुक्त कर ऐसे इंसीडेण्ड कमाण्डर्स की सूची को DoIT द्वारा बनाए गये **वेब पोर्टल पर अपलोड** करें।
2. कोविड–19 संक्रमण मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की **संयुक्त प्रवर्तन दल (Joint Enforcement Team, JET)** के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जावे।
3. **संयुक्त प्रवर्तन दल (JET)** द्वारा ऐसी सभी संस्थाओं/संगठनों जिनकों अनुमति प्रदान की गई है, उनके द्वारा कोविड–19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो संस्था/संगठन को **सील** किया जायेगा।
4. लोगों का **एंटी कोविड–19** गतिविधियों अर्थात् **कोविड उपयुक्त व्यवहार** जैसे कि मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, कार्यालय स्थल की सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, इकठ्ठा नहीं होना एवं सामाजिक दूरी रखना, लक्षणों को नहीं छिपाने, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से मिलने और संभावितों की जांच के लिये चिकित्सा दल भेजना आदि के लिये पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है।
5. कोविड–19 के बारे में लोगों को जागरूक किया जाकर **आत्म–अनुशासन (self discipline)** के लिये प्रेरित किया जाना आवश्यक है।
6. ऐसा विभिन्न इलाकों में सभी विभागों के अधिकारियों की विशेष टीमों को **एंटी–कोविड टीमों** के रूप में तैनात करके किया जा सकता है। विभागों से अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम उनके पते एवं मोबाइल नम्बर आदि के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं और साप्ताहिक आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है।
7. संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग हेतु ऐसे विशेष दल (Anti-Covid Team, ACT) बनाया जायेगा, यह दल Covid Appropriate Behaviour की पालना एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान में सहयोग करायेगा।

8. एंटी–कोविड–टीम (Anti Covid Teams, ACTs), संयुक्त जांच दल (Joint Enforcement Team, JET) के निर्देशन में कार्य करेगी।

9. एक टीम में कम से कम दो अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक पुलिसकर्मी या होमगार्ड होना चाहिए और एक क्षेत्र उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि वे लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार पर निगरानी रख सके।

10. टीम के सदस्यों को विशेष **कैप तथा बैज** उपलब्ध कराया जावेगा।

11. Anti-Covid Team(ACT's) के द्वारा अध्यापक/बीएलओ/आंगनवाडी कार्यकर्ता/स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर कोविड मेनेजमेन्ट एवं टीकाकरण में वृद्धि हेतु सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जन को जागरूक एवं प्रेरित किया जायेगा।

Key Stakeholders within the village community that could be mobilized for COVID-19 management to help the village core committee (ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप)

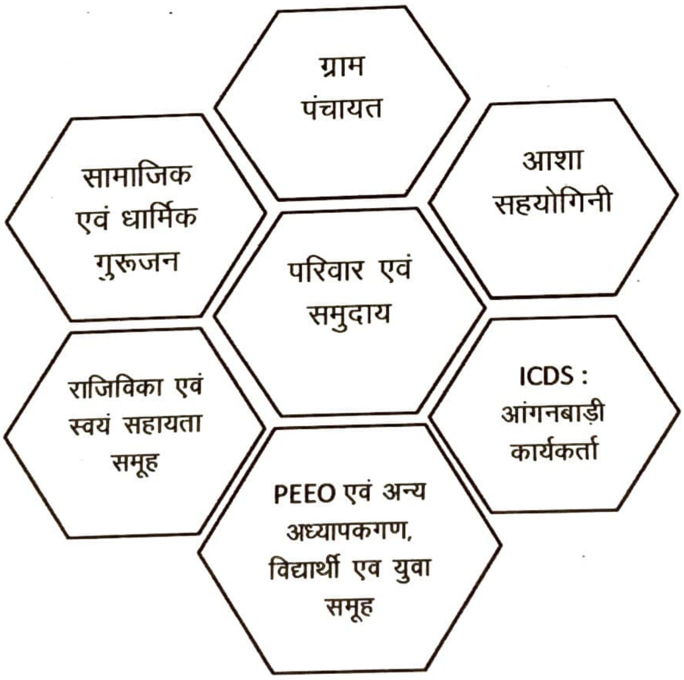

(As per the SOP issued by the MoHFW, GoI dated 16th May 2021 on COVID-19 Containment & Management in Peri-urban, Rural & Tribal Areas)

वैक्सीनेशन और मास्क है जरूरी का प्रचार–प्रसार किया जाए

परिशिष्ट 'G'

Test-Track-Treat Protocol

1- **Test - Track - Treat** की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए **डोर–टू–डोर** सर्वे की विस्तृत कार्य योजना बनाई जाकर, ILI मरीजों के चिन्हिकरण, मेडिकल किट वितरण, जांच, होम आईसोलेशन एवं उपचार की नियमित निगरानी की जावे।

2- **डोर–टू–डोर** सर्वे का कार्य इस प्रकार से किया जावे कि प्रत्येक घर का सर्वे आगामी 10 दिवस में कर लिया जावे और यह प्रक्रिया प्रत्येक 10 दिवस में दोहराई जावे।

3- डोर–टू–डोर सर्वे हेतु मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जावे।

4- सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में डोर–टू–डोर सर्वे हेतु एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया जावे।

5- **आरटी–पीसीआर जांच** प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए जिन जिलों में संक्रमण के प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनमें जांचें पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित कराई जावें।

6- सेम्पल कलेक्शन दलों की संख्या बढ़ाई जाकर सेम्पलिंग एवं टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जावे।

7- ब्लॉक स्तर पर मोबाईल मेडिकल यूनिट (MMU) रेपिड एन्टीजन टेस्ट, लाउडस्पीकर सहित तैनात की जावे, जो कि टेस्ट एवं उपचार करे।

8- संक्रमित मामलों को शीघ्रताशीघ्र आइसोलेट/क्वारंटीन किया जावे तथा उनके सम्पर्को का **Contact tracing** के माध्यम से जल्दी से जल्दी पता लगा कर उनको भी **आइसोलेट/क्वारंटीन** किया जावे।

9- पॉजिटिव केसेज वाले क्षेत्रों में माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन बनाया जाकर पुलिस एवं स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाई जाये।

10- **निगरानी :** चिकित्सा विभाग हर दिन सभी संक्रमित मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) **संबंधित थानाधिकारी** के साथ, बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल संक्रमित मामलों की निगरानी के लिये RajCovidInfo ऐप उपयोग करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि मरीज घर पर ही रहता है, तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर भी RajCovidInfo ऐप डाउनलोड करायेगा।

11- जिला प्रशासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, की सूचना बिना किसी विलम्ब के फॉर्म संख्या 4 एवं 7 में भरकर DoIT पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राज्य में कोविड संक्रमित एवं क्वारंटीन व्यक्तियों के मूवमेंट की Covid Quarantine Alert System (CQAS) के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए।

12- जिन कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया गया है, यदि उनके द्वारा होम क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो जिला प्रशासन उन्हें तत्काल संस्थागत क्वारंटीन करे।

13- **उपचार (Treat) –** कोविड–19 के रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (होम आइसोलेशन गाइडलाईन्स की पूर्ति की शर्त पर) **तुरन्त आइसोलेट** किया जायेगा। निर्धारित एव आवश्यक नैदानिक हस्तक्षेप (Clinical Intervention) सुनिश्चित कराया जायेगा।

14- संबंधित ऐजेन्सीज मामलों के प्रक्षेपक (Trajectory) के मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त कोविड समर्पित स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक (एम्बूलेंस सहित) आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

परिशिष्ट 'H'

रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones)

1. भेद्य एवं उच्च घटनाओं वाले (vulnerable and high incidence) क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन्स का प्रभावी सीमांकन संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने हेतु महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है। **संबंधित जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन्स का निर्धारण किया जाकर नोटिफाई किया जायेगा।
2. **कोई एरिया/अपार्टमेन्ट जहां संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया जायेगा।** ऐसे कंटेनमेंट जोन्स एवं सम्बन्धित क्वारंटीन व्यक्तियों की सूची को संबंधित जिला कलक्टर द्वारा DoIT के वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जावेगा।
3. कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित **कड़े प्रतिबंध उपायों** की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी।
   - A. कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत की जावेगी।
   - B. इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, इसलिए **सख्त परिधि नियंत्रण** लागू होगा।
   - C. निगरानी हेतु गठित दलों द्वारा **सघन घर–घर निगरानी** सुनिश्चित की जायेगी।
   - D. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार **जांचें (Testing)** की जायेंगी।
   - E. ऐसे व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव पाये गये है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग, पहचान एवं उन्हें 14 दिनों के लिये क्वारंटीन किया जायेगा। (80 प्रतिशत सम्पर्को की 72 घंटे में पहचान आवश्यक है।)
   - F. ILI(Influenza like illness)/SARI(Severe Acute Respiratory infection)/Body ache/Diarrhoea मामलों की निगरानी डोर–टू–डोर सर्वे के माध्यम से कराई जायेगी तथा इस सूचना को भी DoIT के पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।
   - G. जिन जिलों में अधिकतम कोविड–19 पॉजिटिव मामलें रिपोर्ट किये जा रहे हैं, उनमें कन्टेनमेन्ट स्ट्रेटजी की सहायता के रूप में निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले जनसंख्या आयु समूहों में टीकाकरण के सार्वभौमीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जावेगा।
   - H. निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त की होगी।
4. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे।
5. जिला प्रशासन द्वारा घोषित कन्टेनमेन्ट जोन्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सूचना संकलित कर उनका एक ग्रुप बनाया जाये एवं उस ग्रुप में कुछ Volunteers को भी जोड़ा जाए ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं,

जैसे खाना, दवाई व अन्य सामान की आवश्यकता होने पर ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलने पर इस Volunteer द्वारा उनके घर पर ही सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे Volunteers की सूची को DoIT द्वारा संधारित पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

6. इसी प्रकार BLO द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाले सभी नागरिक जो कोरोना पॉजिटिव है, का एक ग्रुप बनाकर, ग्रुप के माध्यम से उनकी निगरानी रखेगा एवं किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाना, दवाई व अन्य की ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलने पर उक्त सामग्री पहुंचाने में मदद करेगा जिससे हर कोविड संक्रमित की जानकारी एवं उसे अच्छी सुविधा मिल सकें।

ग्रामीण स्तर पर समस्त BLO ग्राम स्तर पर बनाई गई **ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप** के निर्देशन में काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार **शहरी क्षेत्र** में आने वाले समस्त BLO **संयुक्त प्रवर्तन दल** के निर्देशन में काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट संयुक्त प्रवर्तन दल को उपलब्ध करायेंगे।

परिशिष्ट 'I'

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	अपराध	शास्ति (रू0)	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर(जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	1000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करने एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी की पालना नहीं किये जाने पर।	500/–	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/–	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/–	
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में विवाह तिथि, विवाह स्थल, समय अवधि एवं प्रतिभागियों की पूर्व सूचना दिये बिना विवाह का आयोजन करना या सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	5,000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	आयोजकों द्वारा विवाह से सम्बन्धित	1,00,000 (रू0 एक	

	समारोह आयोजन।	लाख)	
8.	मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबंधक एवं अधिभोगी (Occupier) द्वारा विवाह समारोह	1,00,000 (रू0 एक लाख)	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
9.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/-	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
10.	सभी कार्यस्थल पर कार्यावधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।	10,000/-	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक 2. रीको ईकाई के प्रमुख
11.	सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना। (विवाह अथवा अन्त्येष्टि/संस्कार के अलावा)	10,000/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी